

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं० 39 / जो० अ०

दिनांक 12-1-2021

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री आनन्द कुमार आग्रवाल पिता/प्रति का नाम श्री स्व. अशोक कुमार मल्लिक आराजी संख्या 21/22/24 मौजा चनेसरी वार्ड शिवपुर में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिह्नित भवन चित्र के अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

मुहर

दिनांक 20



(Signature)

कृते उपाध्यक्ष
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : 1- यह स्वीकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2- इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झॉप, नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3- मकान निर्माण से यदि नाली, सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने परदिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5- प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6- यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण कार्य प्रारम्भ करें।

7- यदि अविकसित क्षेत्र के हेतु किसी प्रकार अनुमति दे दी गई तो वह भी वैध अनुमति पत्र नहीं माना जायेगा तथा ऐसे निर्माण कार्य को विध्वंस कर दिया जायेगा जिसका कोई हर्जाना नहीं दिया जायेगा।

शर्तें

1. भवन पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
2. स्थल पर 50 वृक्ष प्रति हेक्टेयर की दर से 49 वृक्ष लगाना होगा तथा हरा-भरा रखने की जिम्मेदारी आवेदक/आर0डब्ल्यू0ए0 की होगी, जिसे मानचित्र पर दर्शाना होगा।
3. भवन की ऊचाई 30 मीटर के अधिक है। इसलिए मानचित्र में मैकेनिकल वेंटिलेशन का प्राविधान करना होगा।
4. रूफ टाफ सोलर फोटो वोल्टाइप पैनल / विद्युत लोड की स्थापना कुर्सी क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर टेरिस अथवा सम्पूर्ण का 1 प्रतिशत जो भी कम हो स्थापित करना होगा।
5. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की डिजाइन वाटर ग्राउण्ड बोर्ड के डिजाइन के अनुसार कराकर पूर्ण करना होगा।
6. एन0जी0टी0 के संलग्न नियमों का पालन करना होगा।
7. सर्विसेस एवं लैण्ड स्कोप प्लान प्रस्तुत करना होगा।
8. स्थल एक बोर्ड (4' X 3') लगाना होगा जिसपर स्वीकृत सम्बन्धित विवरण अंकित होंगे।
9. पी0एन0जी0 की उपलब्धता होने पर कनेक्शन लेना होगा।
10. स्थल पर विद्यमान पुराने निर्माण को गिराकर निर्माण प्रारम्भ करना होगा।
11. निर्माण सामग्री अपने कैम्पस के अन्दर रखना होगा।
12. स्थल एवं राजस्व मैप के आराजी का सुपर इम्पूज प्लान प्रस्तुत करना होगा।
13. एस0टी0पी0 डिजाइन जल निगम से पूष्टि कराने के पश्चात प्रस्तुत करना होगा।
14. लेबर सेस विभाग से अवशेष धनराशि जमा कराकर विभाग को सूचित करना होगा।
15. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के द्वारा निर्गत एन0ओ0सी0 के शर्तों का पालन करना होगा तथा भवन पूर्ण होने के पश्चात अन्तिम एन0ओ0सी0 प्राप्त करना होगा।
16. रेरा का पंजीकरण एवं रेरा द्वारा आरोपित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
17. भू-स्वामित्व विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।